



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1064]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928

No. 1064]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

New Delhi, the 14th September, 2006

का.आ. 1529(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 23) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 सितम्बर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

S.O. 1529(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2006 (23 of 2006), the Central Government hereby appoints the 16th day of September, 2006 as the date on which the provisions of Section 4 of the said Act, shall come into force.

[फा. सं. 1/4/2006/सी.एल-V]

[F.No.1/4/2006/CL.V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.